संख्या-46 /2026/।/1276912/2026/तीस-3-2026

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2026

विषय- जनपद-उन्नाव एवं अलीगढ़ में डम्पिंग यार्ड/डिटेंशन यार्ड के निर्माण/स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-155इन्फ/2026-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 13 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 के कार्यवृत्त में वर्ष 2025-26 परिवहन विभाग : प्रस्तावित पूंजीगत परियोजनाएं की तालिका में मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य के क्रमांक-1 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार जनपद-उन्नाव एवं अलीगढ़ में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड के निर्माण हेतु कालम-6 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन	अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद उन्नाव में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	परियोजना प्रबंधक, यूनिट-29, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।	277.99	242.08	242.08
2	जनपद अलीगढ़ में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	परियोजना प्रबंधक, यूनिट-25, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अलीगढ़।	280.58	253.84	253.84
				कुल -	**495.92**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-488-X-2025-26, दिनांक 23 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-46/2026/ I/1276912/2026(1)/तीस-3-2026, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था -(1) परियोजना प्रबंधक, यूनिट-29, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ। (2) परियोजना प्रबंधक, यूनिट-25, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अलीगढ़।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।